337

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प 398

16.01.2012

रांची, दिनांक 16.01.2012

विषय : राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण।

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के अन्तर्गत निम्न कोटि के पद पर से उच्चतर कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए अलग–अलग न्यूनतम कालावधि निर्धारित है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञाप संख्या–AB-14017/61/2008-East-(RR) दिनांक 24.03.2009 द्वारा सभी केन्द्रीय कर्मियों हेतु एकरूपता के दृष्टिकोण से ग्रेड पे आधारित कालावधि लागू की गई है।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–660 दिनांक 28.02.2009 में निरूपित प्रावधानों के आलोक में इस राज्य में केन्द्र सरकार के अनुरूप हू–ब–हू सेवा शर्त्त का निर्धारण किया जाना है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि –

(i) राज्य के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के रिक्त पदों के विरूद्ध अर्हता प्राप्त कर्मियों के प्रोन्नति की त्वरित कार्रवाई की जाय।

(ii) राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र ज्ञापांक ए0बी0 14017/61/2008–इस्ट (आर0आर0), दिनांक 24.03.2009 द्वारा ग्रेड पे आधारित कालावधि के अनुरूप इस राज्य में भी प्रोन्नति निमित्त कालावधि का निर्धारण निम्नरूपेण किया जाए :–

क्रमांक	ग्रेड वेतन (जिससे प्रोन्नति दी जानी है)	ग्रेड वेतन (जिसमें प्रोन्नति दी जानी है)	प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की अवधि
1	1800	1900	Placement as per 6th CPC recommendations
2	1900	2000	3 Years
3	1900	2400	8 Years
4	2000	2400	5 Years
5	2400	2800	5 Years
6	2400	4200	10 Years
7	2800	4200	6 Years
8	4200	4600	5 Years
9	4200	4800	6 Years
10	4200	5400	8 Years
11	4200	6600	10 Years
12	4600	4800	2 Years

:..2

13	4600	5400	3 Years
14	4600	6600	7 Years
15	4800	5400	2 Years
16	4800	6600	6 Years
17	5400	6600	5 Years
18	6600	7600	5 Years
19	6600	8700	10 Years
20	7600	8700	5 Years
21	7600	8900	6 Years
22	8700	8900	2 Years
23	8700	10000	3 Years
24	8900	10000	2 Years

4. साथ ही, उक्त निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरी नहीं हो सकने के स्थिति में जहाँ रिक्ति उपलब्ध हो तथा कालावधि पूर्ण नहीं होने के कारण प्रोन्नति देना सम्भव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/वेतनमानों की कुल कालावधि यदि पूरी हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में धारित पद से उच्चतर पद के लिए निर्धारित कालावधि में 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु यह छूट उन मामलों में देय नहीं होगी जहाँ प्रोन्नति में विलम्ब के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी ही दोषी हों अथवा प्रोन्नति नहीं मिलने का मुख्य कारण विभागीय कार्यवाही या फौजदारी मुकदमों का विलम्ब रहना हो।

5. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Aditya 16/1/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति0नि0–07–05/2011 का॰–398/रांची, दिनांक 16.01.2012

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

कृपया इसकी 500 (पांच सौ) प्रतियाँ कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भी उपलब्ध करा दी जाय।

Aditya 16/1/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/नीति0नि0–07–05/2011 का॰–398/रांची, दिनांक 16.01.2012

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

Aditya 16/1/2012

सरकार के प्रधान सचिव।